न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 779 / 2018
निर्णय दिनांकः 17 / 03 / 2020

दलजीत सिंह पुत्र स्व. श्री बक्शी सिंह जाति मीणा, निवासीः ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द्र पुत्र कल्याण दत्त
2. रामचन्द्र पुत्र कल्याण दत्त
   समस्त जाति महाजन निवासीः ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. बेअन्त कौर पत्नि स्व. श्री बक्शीसिंह
4. सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री गुरूचरणसिंह पौत्र बक्शीसिंह
5. दर्शन कौर पत्नि स्व. श्री गुरूचरणसिंह
6. समरजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरूचरणसिंह
7. गुरजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरूचरणसिंह
8. कुलविन्दर कौर पुत्री स्व. श्री गुरूचरणसिंह
   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
9. प्रीतम सिह पुत्र श्री बक्शी सिंह जाति माली, निवासीः ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल निवासीः गुरूद्वारा गंगानगर, जिला गंगानगर।
10. मनजीत कौर पुत्री श्री बक्शी सिंह जाति माली, निवासीः सैनी कृषि फार्म, नोपुरा रोड, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
11. सुरेश कुमार पुत्र श्री बृजलाल, जाति महाजन, निवासीः भडून्दा, जिला झुन्झुनू।
12. श्याम सुन्दर पुत्र केशरदेव, निवासीः बगड जिला झुन्झुनू।
13. सुरेश कुमार पुत्र स्व. सुखदेव सर्राफ निवासीः मेटल कॉलोनी, अम्बाबाडी, जयपुर।
14. फर्म मामरा रियल एस्टेट प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय ए–8, फर्स्ट फ्लोर, माल रोड, विद्याधर नगर, जयपुर।
15. गोपाललाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर, निवासीः सुन्दरपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
16. रामप्रसाद पुत्र श्योजीराम जाति अहीर, निवासीः सांवतकाबास, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
17. गजानंद पुत्र रामपाल, जाति अहीर, निवासीः ग्राम कानपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
18. हरिनारायण पुत्र सुन्दरराम अहीर, जाति अहीर, निवासीः ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
19. नंदलाल मूलचन्दानी पुत्र श्री डी.एम. मूलचन्दानी
20. राधाकिशन मूलचन्दानी पुत्र श्री डी.एम मूलचन्दानी
21. रमेश मूलचन्दानी पुत्र श्री डी.एम. मूलचन्दानी
    समस्त जाति सिन्धी, निवासीः शंकर कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

22. मनजीत कौर दोयती बक्शीसिंह, जाति सैनी, निवासीः कालाडेरा, तहसी चौमू, जिला जयपुर।
23. कजोडमल चाहर पुत्र श्री मुकन्दाराम जाति जाट, निवासीः चाहरों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
24. गजानंद पुत्र रामपाल
25. छीतरमल पुत्र जादूराम

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अनंनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

26. ओमप्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल, जाति कुमावत, निवासीः वार्ड नंबर 1 खोरानियों की ढाणी, टोडी स्टैण्ड, नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
27. ताराचंद पुत्र मातादीन जाति सोनी, निवासीः केशवनगर वार्ड नंबर 12, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
28. सुरेश कुमार पुत्र चिंरजीलाल, जाति महाजन, निवासीः ग्राम धिनोई, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
29. अशोक कुमार पुत्र कजोडमल
30. बंशीधर पुत्र ग्यारसाराम

समस्त जाति जाट, निवासीः चाहरों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

31. अशोक पुत्र तेजप्रकाश, जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
32. साधुराम पुत्र मालूराम, जाति कुमावत, निवासीः रीको कालाडेरा, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
34. उपपंजीयक महोदय चौमू, उपपंजीयन कार्यालय तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

<u>अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2018 उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर वाद संख्या 194/2016 उनवानी मूलचंद व अन्य बनाम बैअन्त कौर अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर के वाद संख्या 194/2016 बउनवानी मूलचंद व अन्य बनाम बैअन्त कौर में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 15.06.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 2903, 2904, 3116, 3117, 3118, 3119, 3125, 3126, 3127, 3130, 3131, 3132, 3132/3587, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139 कुल किता 20 कुल रकबा 6.52 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि है, उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा तकासमा नहीं किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात भूमि खाता संख्या 290 में वादीगण का खातेदारी हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

8/189 भाग निहित है तथा शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 30 के कब्जे काश्त एवं मालिकाना अधिकारों की है अर्थात विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका कि आज दिन तक भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार मनबट अनुसार काबिज काश्त रहे है जिस अनुसार वादीगण खसरा नंबर 3136, 3137 पर उत्तरी व दक्षिणी ओर की सीमाओं पर पुख्ता दीवार व नीव सीव मुताबिक विक्रेता द्वारा पूर्व खातेदारों से मनबट बंटवारा करवाने व काबिज करवाये अनुसार काबिज काश्त है जिसके उपरान्त से वादीगण अपनी भूमि खसरा नंबर 3136, 3137 पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा अपने हिस्से मुताबिक विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार से लगान अदा करते चले आ रहे है। वादीगण विवादित आराजीयात में निहित स्वयं के हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 के साथ मनबट बंटवारे अनुसार खसरा नंबर 3136, 3137 पर काबिज काश्त है तथा मनबट बंटवारे अनुसार भूमि पर कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। वादीगण ने विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 से विवादित आराजीयात का काबिज अनुसार विधिवत रूप से तकासमा किये जाने बाबत अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 द्वारा वादीगण को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादीगण के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात पर विधिवत तकासमा नहीं करवाया गया परन्तु अब प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवारा कराने के लिये साफ इंकार हो गये व ऐलानिया धमकी दी कि वे बिना बंटवारा कराये उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन, हस्तान्तरण करेगे कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है इसलिये दावा बंटवारा आराजी पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वादीगण के कब्जे काश्त के आराजी खसरा नंबर 3136, 3137 अनुसार तकासमा किया जाकर विवादित आराजी में वादीगण खातेदारी हिस्सा 8/189 भाग का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन करवाये बिना विशिष्ट भू भाग का बेचान नहीं करे, ना ही वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करे, न ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने निर्णय दिनांक 15.06.2018 के द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वास्ते तलबी नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की तलबी करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तनकीयात कायम किये एवं अपीलान्ट का पक्ष सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पर कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी थी बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के हितों की अनदेखी करते हुये एवं मौके के विपरीत प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित किये जाने में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से तद्पश्चात् नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से वाद की सूचना प्रेषित की गई। अपीलान्ट स्वयं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही में निरन्तर रूप से भाग लिया गया है इस कारण अन्य प्रतिवादीगण की तामील होने या न होने से अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से नुकसान या प्रभावित होना नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 15.06.2018 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2018 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण विवादगस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से नोटिस तामील होने के उपरान्त मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अन्य प्रतिवादीगणों के बाद तामील नोटिस देखने से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से तद्पश्चात् तामील नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से वाद की सूचना प्रेषित की गई। अपीलान्ट द्वारा स्वयं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही में निरन्तर रूप से भाग लिया गया है इस कारण अन्य प्रतिवादीगण की तामील होने या न होने से अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से नुकसान या प्रभावित होना नहीं माना जा सकता। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी अपनी तामील बाबत अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तामील संबंधी उज्र का समर्थन नहीं किया है जिससे अपीलान्ट के अपील में प्रतिवादीगण की तामील शेष होने के उज्र निराधार पाये जाते है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त हक हिस्से संबंधी कोई आपत्ति, इंकारी या गलत होना, नहीं बताया गया है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा अपील में ऐसा कोई ठोस कारण या आधार दर्शित नहीं किया है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि या अनियमितता पायी जावे। प्राथमिक डिक्री के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मात्र हिस्से तय किये जाते है। चूंकि मौके की वास्तविक स्थिति बाबत कुरैजात रिपोर्ट आना अभी शेष है जिस पर पक्षकारान अपनी-अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। इस कारण यदि अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह कुरैजात रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2018 को विधिक रूप से उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमे मेरे द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर का प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner